संख्या–271/नौ–9–14–193ज/13टी0सी0

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1.समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

3. निदेशक,
स्थानीय निकाय, उ0प्र0,
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊः दिनांक 21 जनवरी, 2014

विषयः राज्य वित्त आयोग, 13वें वित्त आयोग एवं अन्य वित्तीय स्वीकृतियों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों को राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि का समय से जिलाधिकारी स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण न होने के कारण निकाय के कर्मियों के वेतन आदि के भुगतान नियमित रूप से नहीं हो रहा है जिसके फलस्वरूप निकाय कर्मियों को विलम्ब से वेतन प्राप्त होने के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा साथ ही उनकी कार्यक्षमता भी प्रभावित होती है।

2. उक्त के अतिरिक्त यह भी संज्ञान में आ रहा है कि शासन स्तर से विकास कार्य हेतु स्वीकृत की गई धनराशि का समय से उपयोग न हो पाने के कारण या तो स्वीकृत धनराशि व्यपगत हो जाती है अथवा उक्त धनराशि की उपयोगिता अवधि बारम्बार बढ़ाये जाने का अनुरोध निकायों द्वारा शासन से किया जाता है, जिससे यह स्पष्ट है कि वित्तीय स्वीकृति के शासनादेश का जिला स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण नहीं किया जाता है और फलस्वरूप विकास कार्य बाधित होते हैं और वित्तीय स्वीकृति का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता है।

3. अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निकायों के कर्मियों के वेतन इत्यादि हेतु राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत की जाने वाली धनराशि एवं 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निकायों को अवमुक्त की गई

धनराशि के सापेक्ष निकायों द्वारा प्रस्तुत की गई कार्ययोजना तथा नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं यथा–नया सवेरा नगर विकास योजना, आदर्श नगर योजना एवं सड़क सुधार तथा जल निकासी योजना के अन्तर्गत समय–समय पर निर्गत की जाने वाली वित्तीय स्वीकृतियों आदि के समस्त प्रकरणों की मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी अपने स्तर पर प्रत्येक माह के प्रथम पक्ष में समीक्षा करते हुये आवश्यक समस्त औपचारिकतायें उसी माह में पूर्ण करा लें तथा धनराशि के पूर्ण उपयोग की समय–सारिणी निर्धारित करते हुये उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें तथा प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह के प्रथम पक्ष में शासन को अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण में लापरवाही बरतने एवं विलम्ब के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या 1371 (1)/नौ–9–14–193ज/13टी0सी0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
2. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद/नगरपंचायत,उत्तर प्रदेश। (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0, लखनऊ)
3. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
4. गार्ड फाइल/वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
अनु सचिव।